Email- nagarpanchayat.jogbani@gmail.com
Phone no. 06455- 242615

कार्यालय नगर पंचायत जोगबनी (अररिया)

पत्रांक–41

प्रेषक :– कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत जोगबनी

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
बिहार, पटना।

जोगबनी, दिनांक–12/01/19

विषय :– लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या–59/12–13 के कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या– 59/2012–13 के विभिन्न कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में साक्ष्य के साथ भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस अंकेक्षण आपति से मुक्त करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत जोगबनी

ज्ञापांक–41 दिनांक–12/01/19

प्रतिलिपि–सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत जोगबनी

कार्यालय नगर पंचायत, जोगबनी (अररिया)

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–59/12–13 अंकेक्षित अवधि 2007–08 से 2010–11 का अनुपालन प्रतिवेदन

पारा सं0	आपत्ति	अनुपालन	टिप्पणी मन्तव्य	आदेश
1	प्रस्तावना –			
2	प्रशासन –			
3	अंकेक्षण परिसीमा –	जो अभिलेख एवं पंजी प्रस्तुत नहीं किये गये उसे संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
4	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं–	वर्श 2017 के माह अगस्त में भीशण बाढ़ आने के कारण कार्यालय के पूर्व से स्टोर में रखे सभी अभिलेख यत्र–तत्र हो गये हैं जिसे ढूंढा जा रहा है। पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन मिलते हीं अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
5	आन्तरिक लेखा परीक्षा –	अनुसरण किया जा रहा है।		
6	वित्तीय सम्व्यवहार –	की गयी आपत्ति के आलोक में अनुसरण किया जा रहा है एवं अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जायेगा।		
7	कबीर अन्त्येष्ठि अनुदान का अधिदृश्य–	वर्तमान समय में उक्त कंडिका में की गयी आपति के अनुरूप कार्यालय कर्मी एवं वार्ड सदस्य के नाम से संयुक्त खाता खोला गया है एवं अग्रिम की रा ि। संबंधित वार्ड के कर्मी के नाम से दी जाती है।		
8	स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल–	कुल स्वीकृत बल –10 जो नगर पंचायत स्थापना के समय से हीं यथावत है। वर्त्तमान में नगर पंचायत की आबादी, सड़कों एवं नालियों की लम्बाई, करदाताओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए आम नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत बल के अतिरिक्त संविदा एवं दैनिक मजदुरी पर कर्मियों को रखना मजबुरी है। स्वीकृत बलों में वृद्धि के लिए नये सृजित पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक–632 दिनांक–21.09.13 द्वारा कुल– 46 एवं पत्रांक–1046 दिनांक–24.12.16 द्वारा पदों के सृजन के लिए भेजा गया है। जिसकी स्वीकृति अबतक अप्राप्त है।		
9	बजट प्राक्कलन –	वर्ष 2007–08 से 2010–11 का बजट प्राक्कलन तैयार कर बोर्ड से स्वीकृत है। जिसे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया था परन्तु समयाभाव के कारण उसका अवलोकन नहीं हो सका। जिसे अगले अंकेक्षण को दिखाया गया है।		
10	अनुदान की स्थिति –	अनुदान पंजी तैयार कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जायेगा।		
11	पथ निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान से ली गयी योजनाओं में विचलन–	01– अवशेष राशि– 171899.00 यह राशि योजनाओं से काटी गयी आयकर, बिक्रीकर, रॉयाल्टी आदि के लिए शेष था जिसे संबंधित विभाग में जमा कर दिया गया। शेष जो रा ि। कोषागार में बचा हुआ है उस रा ि। को संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया गया है। चालान संलग्न है।		

		02– नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना द्वारा योजनावार स्वीकृत राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन के प्राक्कलन में अन्तर आने का कारण यह है कि कार्य स्थल की विशिष्टियों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत योजना के अनुरूप हीं पुनः प्राक्कलन तैयार करना पड़ा था। चूंकि स्वीकृत योजना की राशि के मामूली अन्तर में प्राक्कलन तैयार किया गया था। भविश्य में इस तरह की समस्याओं पर ध्यान रखा जायेगा।		
		03– योजना सं0–12/09–10 जो वार्ड नं0–07 में बाड़ी पथ का पीसीसी कार्य का था, के कार्य में वार्ड सदस्य श्री मनोज राय द्वारा की गयी शिकायत के आलोक में सहायक अभियन्ता द्वारा योजनाओं की ऋटियों में सुधार कराया गया और संवेदक को उनके दावा का भुगतान करने की अनुशंसा की गयी। जिस समय यह कार्य हुआ था उस समय सामग्री की गुणवता की जांच की परम्परा नहीं अपनायी गयी थी। अब गुणवता की जांच के प्रावधान को लागु कर दिया गया है। सहायक अभियंता एवं आपतिकर्ता श्री मनोज राय, वार्ड पार्षद वार्ड नं0–07 के अनुशंसा के आधार पर योजना कार्य से संतुष्ट होकर हीं भुगतान तथा अग्रधन वापस की अनुशंसा की थी।		
12	वसूली खाता–	(क)– फिरोज अंसारी के जिम्मे बकाया मो0–15537.15 बैक चालान नं0–01 दिनांक–03.04.12 द्वारा जमा किया गया है। परवेज के जिम्मे बकाया राशि– 20000/– चालान सं0–07 दिनांक–11.04.12 द्वारा जमा कर दिया गया है जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जायेगा।		
		(ख)– सज्जन रजक के जिम्मे बकाया मो0–16346/– रूपये बकाया है जिसमें बैंक चालान नं0–39/23.08.13 द्वारा 10000/– रूपये एवं विविध चालान नं0–3111 दिनांक–12.01.19 द्वारा 6346/– कुल मो0–16346/– रूपये जमा करवा लिया गया है।		
		(ग)– श्री शिवनारायण साह, रोकड़पाल के जिम्मे बकाया राशि 13199.00 को चालान सं0–07 दिनांक–11.04.12 द्वारा जमा किया गया है। विगत अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया है।		
		(घ)– श्री शिवनारायण साह, रोकड़पाल के जिम्मे बकाया राशि 4986.00 को चालान सं0–07 दिनांक–11.04.12 द्वारा जमा किया गया है। विगत अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया है।		
		(ड.)– आपति जनक एवं खतरनाक व्यवसाय की मांग की वसूली पंजी तथा करों की मांग एवं वसूली पंजी अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा।		
13 (क)	जलकर एवं मलकर की वसूली नहीं –	अंकेक्षण आपति के उपरांत अनुपालन किया जा रहा है।		

13 (ख)	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर –	अंकेक्षण आपति के उपरांत अनुपालन किया जा रहा है।		
14	सैरातों की बन्दोबस्ती में अनियमिततायें–	सैरातों की बन्दोबस्ती की सूचना तीन बार निकाली गयी लेकिन डाक वक्ता उपस्थित नहीं हो सके। तीसरी बार डाक होने की स्थिति में खासकर बस पड़ाव की बन्दोबस्ती में सुरक्षित जमा से कम राशि पर हुआ है। अगर सुरक्षित जमा से कम राशि में डाक नहीं होता तो विभागीय वसूली करनी पड़ती। विभागीय वसूली के लिए प्रयाप्त कर्मियों को रखना पड़ता इसके वावजूद भी सुरक्षित जमा के बराबर राशि की वसूली नहीं होती। फलतः पूर्व के अनुभव को देखते हुए बन्दोबस्ती करना पड़ा था। जहां तक की स्टाम्प पर डाकवक्ता से एकरारनामा कराने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि निबंधन विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र उपलब्ध नहीं होने तथा जानकारी के अभाव में एकरारनामा का निबंधन नहीं कराया जा सका था। भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा। तीन वर्ष के औसत डाक की राशि का औसत राशि 15 प्रतिशत जोड़कर हीं सुरक्षित जमा निर्धारित की जाती है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
15	योजनाओं के कार्यान्वयन में ऋटियां–	(1)– वर्तमान में एकल निविदा होने पर उस निविदा को रद्द कर दिया जाता है।		
		(2)– वर्त्तमान में संवेदकों से 05 प्रति ात सुरक्षित जमा के रूप में राशि काटी जा रही है।		
		(3)– योजनाओं में लगाये गये सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच गुणवत्ता नियंत्रण विभाग से कराने की कार्रवाई वर्तमान में की जा रही है।		
		(4)– वर्तमान में तकनीकी पदाधिकारी से तकनीकी बीड पर हस्ताक्षर कराया जा रहा है।		
		(5)– संवेदकों के विपत्र से रॉयाल्टी, लेबर सेस, भैट एवं आयकर की वसूली की जाती है एवं सरकारी खजाने में जमा किया जाता है।		
		(6)– योजनाओं का कार्यान्वयन सरकार के निदे२ ानुसार निविदा के माध्यम से कराया जा रहा है।		
16	प्रशासनिक भवन कार्य में अनियमितताऐं–	बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत प्र२ ासनिक भवन की योजना जिला योजना समिति के स्वीकृति के प चात् जिला पदाधिकारी, अररिया से प्र२ ासनिक स्वीकृति मो0–4848600/– रूपये के लिए प्राप्त है। जिसके अनुसार योजना का कार्यान्वयन हुआ है। जो पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के निदे२ ानुसार है। चूंकि यह योजना पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत है इसलिए तकनीकी सीमा के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है। संवेदक श्री गजाधर प्रसाद गुप्ता, नगर पंचायत द्वारा निबंधित संवेदकों की सूची में प्रथम श्रेणी में निबंधित है। जो 25 लाख से उपर की सीमा में आता है। समय पर कार्य पूरा नहीं होने के विरूद्ध विपत्र में क्षतिपूर्ति शुल्क काटने हेतु बोर्ड से निर्णय प्राप्त किया जायेगा। प्रशासनिक भवन के स्थान पर प्र२ ाक्षण सह प्रदर्शन भवन के नाम के लिए जिला योजना समिति को		

		प्रस्ताव भेजा गया है। जो अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
17	नाला निर्माण योजना में विचलन–	नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना द्वारा तीन नाला निर्माण का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान होते हुए 14.88 अनुदान स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत योजनाओं का प्राक्कलन नाला की स्थिति, कार्य स्थल एवं नाला के बहाव की स्थिति को देखते हुए प्राक्कलन तैयार किया गया था और तैयार प्राक्कलन पर योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ। चूंकि नाला के कार्य स्थल एवं नाला का पानी बहाव की स्थिति को देखते हुए नाला का निर्माण हुआ था फलतः नाला की लम्बाई कम होना स्वाभाविक था। प्राक्कलन स्वीकृत योजना के राशि के अनुसार हीं तैयार किया गया था। यह विचारणीय है कि कोई भी प्राक्कलन अनुमानित होता है। सरकार को भेजे गये प्राक्कलन की परिस्थिति उस समय कुछ और थी एवं नाला निर्माण की कार्रवाई के समय परिस्थितियां बदल गयी। इसलिए योजना के Specification में परिवर्तन हुआ है जो मान्य होना चाहिए।		
18	संदेहास्पद प्राक्कलन तथा कार्य–	(1) योजना सं0–07/08–09 में नाला से कचड़ा की निकासी मजदुरों के द्वारा किया गया था एवं निकाले गये कीचड़ की ढुलाई के लिए 150 ट्रेलर का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया था। प्राक्कलन तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा को ी अनुसूचित दर के आधार पर तैयार किया गया था। उसी के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन कराया गया एवं भुगतान किया गया। अंकेक्षण आपति में 1172.87 cft कचड़ा ढुलाई की स्थिति द ार्यी गयी है। चूंकि प्राक्कलन पर सहायक अभियंता की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है। इसलिए सहायक अभियंता से स्पश्टीकरण का अनुरोध किया जा रहा है। स्पश्टीकरण प्राप्त होने पर अगले अंकेक्षण में वास्तविक स्थिति की जानकारी दी जायेगी।		
		(2) योजना सं0–06/08–09 में नाला से कचड़ा की निकासी मजदूरों के द्वारा किया गया था एवं निकाले गये कीचड़ की ढुलाई के लिए 167 ट्रेलर का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया था। प्राक्कलन तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा को भी अनुसूचित दर के आधार पर तैयार किया गया था। उसी के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन कराया गया एवं भुगतान किया गया। अंकेक्षण आपति में 1172.87 cft कचड़ा ढुलाई की स्थिति द ार्यी गयी है। चूंकि प्राक्कलन पर सहायक अभियंता की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है। इसलिए सहायक अभियंता से स्पश्टीकरण का अनुरोध किया जा रहा है। स्पश्टीकरण प्राप्त होने पर अगले अंकेक्षण में वास्तविक स्थिति की जानकारी दे दी गयी है।		

19	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत प्रशिक्षण–	इस योजनान्तर्गत प्राप्त कुल आवंटन 2842279/– के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्य 339 तथा 53 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को कुशल प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रशिक्षण के लिए प्राधिकृत सी0आई0डी0सी0 की अनुपस्थिति के कारण 05 गैर सरकारी संगठनों के द्वारा प्रशिक्षण दिलाया गया। जो आपति उठायी गयी है उसका निराकरण कर अगले अंकेक्षण में दिखा दिया गया है।		
20	विलम्ब से कार्यान्वित योजनाओं में क्षतिपूर्ति शुल्क की कटौती नहीं–	विलम्ब से कार्यान्वयन योजनाओं में क्षतिपूर्ति भुल्क वसूली के लिए संबंधित संवेदकों को सूचना दी जा रही है एवं की गयी कार्रवाई एवं निर्णय को अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
21	बिना **Deviation at site statement** बनाए अनियमित भुगतान–	किसी भी योजना का प्राक्कलन अनुमानित तौर पर बनाया जाता है। निर्मित प्राक्कलन के अनुसार कार्य स्थल पर वास्तविक कार्य होता है। वास्तविक कार्य के अनुसार हीं मापी पुस्त दर्ज किया जाता है जिसे तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा कार्य एवं मापी पुस्त की जांच कर हस्ताक्षर किया जाता है एवं उन्हीं के अनु ंसा पर अभिकर्ता/संवेदक को भुगतान किया जाता है। भविश्य में **Deviation** की स्थिति का **statement** भी तैयार कराया जायेगा।		
22	अधिक भुगतान–	(क)– योजना सं0–01/10–11 की प्राक्कलित राशि–422800/– की मापी पुस्त के अनुसार कार्य मूल्य–392700/– एवं अभिश्रव की राशि 392700/– इसलिए मापी पुस्त के अनुसार हीं मो0–392629/– रूपये का भुगतान भाउचर नं0–37 दिनांक–04.06.11 से की गयी है। अधिक भुगतान नहीं हुआ है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
		(ख)– योजना सं0–02/08–09 प्राक्कलित राशि–337700/– रूपये मापी पुस्त के अनुसार कार्य मूल्य मो0–337700/– अभिश्रव मो0–338000/– मापी पुस्त के अनुसार भुगतान मो0–337700/– इसलिए भुगतान अधिक दृश्टिगोचर नहीं हो रहा है। इसका प्रमाण अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
23	स्वामित्व कर एवं भैट की कटौती	योजना सं0–02/08–09 में स्वामित्व कर एवं भैट की कटौती कम की गयी है की आपति की गयी है। जबकि नगर पंचायत द्वारा तकनीकी पदाधिकारी के निदे ानुसार प्रचलित पद पर कटौती की गयी है। जहां तक कम कटौती का प्रश्न है भविश्य में अंकेक्षण दल द्वारा बताये गये दर के अनुसार कटौती की जायेगी।		
24	प्रथम अग्रिम भुगतान के उपरानत कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना–	योजना सं0–03/08–09, 24/08–09, 02/10–11 एवं 03/10–11 के अभिकर्ता श्री विनोद कुमार सिंह, कनीय अभियंता को की गयी अग्रिम मो0–30000/– रूपये वसूली की कार्रवाई की जा रही है। वसूल कर राशि नगर पंचायत कोश में जमा की जायेगी। अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		

25	अपूर्ण कार्यों पर व्यय–	तीन योजनाऐं अपूर्ण दिखायी गयी है जिसे पूर्ण करने हेतु संवेदक को सूचना दी गयी है। कार्य से संबंधित कार्रवाई अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
26	नक्शा पारित करने में अनियमिततायें–	नक्शा स्वीकृति के संबंध में की गयी आपति का निराकरण कर अगले अंकेक्षण में दिया गया है।		
27	लॉग बुक का अनियमित संधारण–	वर्तमान समय में नगर पंचायत में सभी वाहनों के लिए लॉग बुक संधारित है। जाम की समस्या रहने के कारण भाहर की सफाई कार्य में वाहनों की गति धीमी रहती है। वाहनों को जगह–जगह रोककर कूड़ा–कचरा का उठाव किया जाता है। धीमी गति होने के कारण ईंधन की खपत अधिक होती है। वाहनों में ईंधन डालने के बाद जिस क्षेत्र में सफाई कार्य होता है उसका प्रतिवेदन लॉगबुक में दर्ज किया जाता है। जिस पर कार्यपालक पदाधिकारी या सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर दर्ज है। वर्तमान समय में क्रय किये गये एक ट्रैक्टर, दो टिपर का पंजीकरण एवं बीमा कराया गया है। सभी वाहन चालकों का ड्राईविंग लाईसेंस कार्यालय में उपस्थित है। जिसे अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जायेगा।		
28	दैनिक मजदुरी का भुगतान–	नगर पंचायत की स्थापना 1968 में हुई एवं कार्यरत 1973–74 है। उस समय सरकार से स्वीकृत 10 पद थे। 1974 से 2010 तक स्वीकृत बल में कोई वृद्धि नहीं हुई। 1974 की अपेक्षा 2010 में भाहर की आबादी, सड़क, नाला की संख्या में काफी वृद्धि होने के कारण दैनिक मजदूर रखना बाध्यता थी। सफाई कर्मियों सहित अन्य कर्मचारियों के पद सृजन एवं स्वीकृति का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, स्वीकृति अप्राप्त है।		
29	अग्रिम –	बकाया अग्रिम की राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। जिससे संबंधित प्रतिवेदन संलग्न है।		
30	श्रम शेष की कटौती–	श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–38 दिनांक–19.06.08 का निदेश पत्र कार्यालय को उपलब्ध नहीं हुआ था। इसके अभाव में श्रम शेष की कटौती नहीं हो पायी थी। वर्श 2013–14 से श्रम शेष की कटौती की जा रही है।		
31	लेखा परीक्षा परिणाम–			
32	सामान्य अभ्युक्ति–	पंजियों एवं अभिलेखों का संधारण कर अच्छी स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है एवं दिये गये सुझाव का अनुसरण किया जा रहा है।		

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, जोगबनी